



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-173

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 288393 दिनांक 19/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Sharmila Sharma W/o ASHOK KUMAR SHARMA	श्री सौरभ शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा	E27	40.50 SQ. METER	JDA	SHIV ENCLAVE	Name Transfer	आवेदिका श्रीमती शर्मिला शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा जविप्रा की योजना शिव एनक्लेव के आवासीय भूखण्ड संख्या ई-27 क्षेत्रफल 40.50 व0मी0 का नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 1390 दिनांक 01.02.2022 को श्री सौरभ शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा के नाम जारी किया गया था। लीजधारक श्री सौरभ शर्मा द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से श्री राजीव दीक्षित पुत्र श्री विध्या भूषण दीक्षित को बेचान किया गया है। क्रेता श्री राजीव दीक्षित द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.01.2024 के माध्यम से श्रीमती शर्मिला शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा को बेचान किया गया है।
---	--	---	-----	--------------------	-----	-----------------	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sharmila Sharma W/o ASHOK KUMAR SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |